

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 13, रविवार, शाके 1942- मई 3, 2020 <i>Vaisakha 13, Sunday, Saka 1942- May 3, 2020</i>	

भाग 1 (क)

नियुक्तियां एवं छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां आदि।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 03, 2020

संख्या एफ.9(16)गृह-5/2020 :-राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, हैड कांस्टेबल से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारियों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, उक्त अध्यादेश के अधीन कारित किसी अपराध के संबंध में कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

राज्यपाल के आदेश से,
राजीव स्वरूप,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

Government of Rajasthan
Home (Gr. V) Department
Notification
Jaipur, May 03, 2020

(16)Home-5/2020:- In exercise of the powers conferred by section 9 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020), the State Government hereby authorizes all police officers not below the rank of Head Constable, within their respective jurisdiction, as Authorized Officer to act in respect of any offence committed under the said Ordinance.

By order of the Governor,
Rajeeva Swarup,
Additional Chief Secretary to Government.